IMPORTANT

INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH KRISHI BHAVAN: NEW DELHI

F.No.Admn./11/8/2014-W.S.

Dated the

April, 2016

Τo

- 1. All Directors/ Project Directors of ICAR Research Institutes/ NRCs/ PDs/ Bureaux
- 2. All Officers/ Staff of ICAR Headquarters at Krishi Bhavan/ Krishi Anusandhan Bhavan-1/II and NASC Complex, New Delhi

Sub: Training for ICAR employees – instructions reg.

Sir,

Copy to:-

The instructions/ advisories with regard to training of employees is being issued by the Council time and again. The attention is invited to Council's letter of even number dated 5th August, 2014 on the above subject. Despite these instructions/ advisories, it has come to the notice of the Council that these instructions are not being followed in letter and spirit. The following instructions are reiterated for compliance:-

- (i) The employee nominated by the Council for training programme should participate in the said training programme. In case of unavoidable circumstances, it will be the responsibility of the Director/ Branch Officer concerned to intimate the Council in this regard well in time and also to nominate suitable substitute. If any official/ staff does not attend the training programme without any valid reason, suitable administrative action will be initiated against him/ her.
- (ii) The nomination for training programme invited by the ICAR Headquarters should be routed through the ICAR Headquarters. No nomination be sent directly to the training institutions.
- (iii) No Course/ Capitation fee is to be paid by the Institutes until specifically mentioned/ advised by the Council.
- Upon completion of the training programme, the nominated employee should furnish a copy of participation certificate (awarded to him/her by the concerned training institution) to the Council immediately so that the Course fee could be remitted to the concerned training institution by the Council. The employee who will not submit the copy of participation certificate to the Council within one week after conclusion of the training programme, will not be considered for future training programme.

Yours faithfully,

(P. Sakthivel)

Deputy Secretary(WS & TS)

ISO, DKMA for uploading this letter on ICAR website.

Deputy Secretary(WS & TS)



भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH कृषि भवन, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली–110 001 Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 001

फा.सं.प्रशा. / 11 / 8 / 2014 – कार्य अध्ययन

दिनांक ॥ अप्रैल. २०१६

सेवा में.

- 1. भाकृअप अनुसंधान संस्थानों /एनआरसी/पीडी/ब्यूरो के सभी/निदेशक/परियोजना निदेशक
- 2. भाकृंअप मुख्यालय कृषि भवन/कृषि अनुसंधान भवन—I/II और एनएएससी परिसर, नई दिल्ली स्थित सभी अधिकारी/कर्मचारी

विषय : भाकृअप कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण : अनुदेशों के संबंध में महोदय,

परिषद द्वारा समय—समय पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण के संबंध में अनुदेश / परामर्श जारी किये जाते रहे हैं। उपर्युक्त विषय पर परिषद के दिनांक 5 अगस्त, 2014 के समसंख्यक पत्र रंख्या की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इन अनुदेशों और परामर्शियों के बावजूद, परिषद की जानकारी में यह आया है कि इन अनुदेशों का अक्षरशः पालन नहीं किया जा रहा है। अनुपालन हेतु फिर से निम्नलिखित अनुदेशों की पुनरावृत्ति की जाती है:—

- (i) परिषद द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामित किए गए कर्मचारियों को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। अपरिहार्य परिस्थितियों के मामले में, तंबंधित निदेशक/शाखा अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह समय से परिषद को इस संबंध में अवगत कराए और साथ ही उत्तर्क स्थान पर उपयुक्त दूसरे उम्मीदवार को नामित करे। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी बिना किसी ठोस कारण से प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं लेता है तो उसके खिलाफ उचित प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
- (ii) भाकृअप मुख्यालय द्वारा आमंत्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामांकन भाकृअप मुख्यालय के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। कोई भी नामांकन प्रशिक्षण संस्थानों को सीधा नहीं भेजा जाएगा।
- (iii) जब तक परिषद द्वारा स्पष्ट रूप से चिल्लिखित नहीं किया गया हो / बताया नहीं गया हो, संस्थानों द्वारा कोई पाट्यकम / प्रतिव्यक्ति शुल्क का भूगतान नहीं किया जाएगा।
- (iv) प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति पर नामित कर्मचारी को परिषद को तुरंत भागीदारी प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उसे दिए गए) प्रस्तुत करना चाहिए ताकि परिषद द्वारा संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को पाठ्यक्रम शुल्क भिजवाया जा सके। जो कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के एक सप्ताह के भीतर परिषद को भागीदारी प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं करेगा, उसके भावी प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

भवदीय

(पी शक्तिवेल)

उप सचिव (कार्य अध्ययन एंड टीएस)

प्रतिलिपि :- आईएसओ, डीकेएमए को इस पत्र को भाकृअप की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए प्रेषित।

उप सिवव (कार्य अध्ययन एंड टीएस)